राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सोनू उर्फ सुनील सहित श्री कमलेश शर्मा अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी/आवेदक रामवरन सहित श्री ए.के. समाधिया अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त। जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य राजीनामा कार्यवाही हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक रामवरन पुत्र देवेन्द्र सिंह गुर्जर, निवासी :- ग्राम इटायदा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री ए.के.समाधिया के साथ उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थित पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक रामवरन ने उनके अधिवक्ता श्री ए.के.समाधिया के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमित संबंधी राजीनामा आवेदन एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 320 "02" द.प्र.सं. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत रामवरन अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री ए.के.समाधिया अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे.एम.एफ.सी.गोहद